

memorandum regarding delegation of legislative power and the financial memorandum accompanying it) in the Gazette, although no motion has been made for leave to introduce the Bill. In that case, it shall not be necessary to move for leave to introduce the Bill, and, if the Bill is afterwards introduced, it shall not be necessary to publish it again."

जो परमिशन मांगी गई थी वह श्री मोरारजी देसाई द्वारा मांगी गई थी। अब इस बिल को वह पेश नहीं कर रहे हैं। अब दूसरे मंत्री इस बिल को पेश कर रहे हैं। स्टेटमेंट आफ़ आबजैक्ट्स एंड रीजॉज जो भेजा गया है वह श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से भेजा गया है। जो कौरीजेंडा भेजा गया है वह भी श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से भेजा गया है। उन्हीं का नाम वहाँ लिखा हुआ है। जब सब चीजें बदल गई हैं तो यह जरूरी था कि आपकी परमिशन भी नए मंत्री महोदय मांगते। वह उन्होंने नहीं मांगी। पहले मंत्री ने मांगी थी लेकिन वह चले गये। इसलिए यह जरूरी था कि यह नई परमिशन मांगते और तब आप एग्जैम्पशन देते।

दूसरी मेरी आपांत यह है कि यह मनी बिल है। इस में इनकम टैक्स वगैरह में राहत देने की बात कही गई है। कुछ एसेसीज को राहत दी गई है। अगर कुछ चीजें होंगी तो उनको उसके अन्दर राहत मिलेगी, यह इसमें कहा गया है। इसके अलावा कुछ फीस वगैरह को कम-ज्यादा भी किया गया है। डिटेल्ज वगैरह दे कर मैं साबित कर सकता हूँ कि यह मनी बिल है...

MR. DEPUTY-SPEAKER : May I point out that we are on the Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Bill? It is not the Taxation Laws (Amendment) Bill. You are mixing up the two things. Let the Minister introduce that Bill. I will give you opportunity.

12.42 hrs.

COMPTROLLER AND AUDITOR-GENERAL'S (DUTIES, POWERS AND CONDITIONS OF SERVICE) BILL\*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : I beg to introduce a Bill to determine the conditions of service of the Comptroller and Auditor-General of India and to prescribe his duties and powers and for matters connected therewith or incidental thereto.

TAXATIONS LAWS (AMENDMENT) BILLS\*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : I beg to introduce a Bill further to amend the Income-tax Act, 1961, the Wealth-tax Act, 1957, the Gift-tax Act, 1958 and the Companies (Profits) Surtax Act, 1964.

श्री कंबर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मेरा पहला एतराज यह है कि 64 के तहत वेव करने की जो चीज थी उसकी परमिशन पहले मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने ली थी। अगर अब ये इसको वेव कराना चाहते हैं तो इनका फर्ज था कि ये स्पीकर के पाम जाते और स्पीकर वेव करता।

दूसरा मेरा एतराज यह है कि यह मनी बिल है। आप आर्टिकल 110 को देखें उसमें यह कहा गया है :

"For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely :—

(a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax"

जहाँ तक टैक्सों का सवाल है क्लॉज 65 में एक राहत दी गई है। पहले पब्लिक कम्पनीज को कुछ राहत दी गई थी और अब सब को राहत दे दी है। पहले पब्लिक लिमिटेड

\*Already published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated the 20th May, 1969, under Rule 64 of the

Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

[ श्री कंवरलाल गुप्त ]

कम्पनीज को ही दी गई थी अब सब को दी है। इसको फाइनेंशल मैमोरेण्डम में भी माना गया है कि इसकी वजह से कुछ लोगों को राहत देनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि कोई न कोई चेंज हुआ है। अगर यह मनी बिल है तो राष्ट्रपति की परमिशन ली जानी चाहिये थी। राष्ट्रपति की परमिशन अगर पहले ली गई है तो वह दूसरे मंत्री ने ली थी। इनको दुबारा लेनी चाहिये थी। एक बार आपको याद होगा कि अनलाफुल एक्टिविटीज बिल जब वापिस लिया गया था तो उसके बाद चन्हाण साहब ने जब दुबारा बिल रखा था तो दुबारा उनको परमिशन लेनी पड़ी थी...

श्री शिव नारायण (बस्ती) : गवर्नमेंट तो एक है। मिनिस्टर बदल गया तो क्या हो गया ?

श्री कंवर लाल गुप्त : कुछ अक्ल से काम लो। जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो। अगर मेरी बात गलत होती तो आबजैक्ट्स एंड रीजंज को दुबारा क्यों लिखा जाता और श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से क्यों लिखा जाता। यह कौरीजेंडा क्यों आया। इसका मतलब यह निकलता है कि आज नए मंत्री हैं तो नए मंत्री को दुबारा एप्लाई करना चाहिये। क्योंकि यह मनी बिल है और राष्ट्रपति की परमिशन नहीं है, इसलिए आज यह इस हाउस के मामले नहीं आ सकता है।

SHRISHO NARAIN : Sir, I rise to a point of order.

अक्ल का नमूना यह पेश कर रहे हैं या मैंने किया है।

यह साफ है कि

Money Bill means "concerned with money". That is the simple definition. Instead of saying that he was reading from the Constitution. Therefore, he should withdraw his remarks. पोया पढ़ रहे थे, इनको बड़ी अक्ल है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Order, order. It is not a valid ground that the

hon. Member Shri Kanwar Lal Gupta has raised. Once permission was obtained, The only question is that a particular Minister who was to pilot the Bill is not here. That does not mean that all the things that were done before are invalid and everything should be done afresh. If you apply that yardstick then the Government cannot run. You must presume there is continuity in this. Therefore, I do not entertain your objection.

RE: NATIONALISATION OF BANKS ETC.

श्री मधु लिमये (मुंजर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि बैंकों के सम्बन्ध में आर्डिनंस तब निकाला गया था जब हम चालीस घंटे के बाद मिलने वाले थे, हमारी बैठक होने वाली थी। चूंकि सरकार ने समझा कि एक बहुत ज्यादा महत्व की यह चीज है और इसको तत्काल करना चाहिये, इसलिए आर्डिनंस के द्वारा इसको किया गया। कल हम लोग अपेक्षा करते थे कि प्रधान मंत्री सुप्रीम कोर्ट की स्टे के बाद किस वकत इसको लाया जाएगा, उसके बारे में कुछ निवेदन करेंगे। लेकिन उनके बयान को मैंने पढ़ा है। उम बयान में कहा गया कि हम स्थिति का अध्ययन करेंगे। इसमें पता चलता है कि बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वह राजनीतिक बातों को ले कर किया गया। अगर प्रधान मंत्री यह साबित करना चाहती हैं कि वाकई में एक क्रान्तिकारी कदम उठाने की दृष्टि से आर्डिनंस निकाला गया था तो उनको तत्काल उस बिल को पेश करना चाहिये।

कानून मंत्री से मैंने बात की है; मैंने उन को आज चिट्ठी भी लिखी है। उसके बारे में मैं सरकार से सफाई चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि यह बिल कब पेश किया जाएगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे का और कानून पास करने का हमारा जो अधिकार है, उसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का स्टे इसके बीच में नहीं आता है।